बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग
मुख्यालय, अनुश्रवण

संoसंo–लoसिंoमोo– J.J.H.A/जाँच - 339/2019 - 1571(मॉo) पटना, दिनांक– 17/8/2020

प्रेषक,

ई0 रवीन्द्र कुमार सिंह,
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियन्ता,
लघु सिंचाई प्रमण्डल, ... ।

विषयः–योजनाओं का **DPR** के सम्बन्ध में।

प्रसंगः–पत्रांक–1107, दिनाक–12.06.2020 एवं पत्रांक–1504 दिनांक–29.07.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि 05 एकड़ से बड़े रकबा के तालाबों का जीर्णोद्धार कार्य विभाग द्वारा कराया जाना है। 05 एकड़ से उपर रकबा के तालाबों की सूची आपको पूर्व में उपलब्ध करा दी गयी है। साथ ही यह अनुरोध किया गया है कि तालाबों के जीर्णोद्धार कार्य की स्वीकृति जिला परामर्शदातृ समिति से प्राप्त कर तथा सक्षम प्राधिकार से डी0पी0आर का तकनीकी अनुमोदन प्राप्त कर विभाग को उपलब्ध करावें ताकि उसकी प्रशासनिक स्वीकृति दी जा सके।

तालाबों के साथ–साथ आहर–पईन, चेक–डैम/वीयर का डी0पी0आर0 भी सक्षम प्राधिकार से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त कर तथा जिला परामर्शदातृ समिति से स्वीकृति प्राप्त कर प्रशासनिक स्वीकृति हेतु मांगी गयी है।

17 प्रमण्डलों से योजनाओं का डी0पी0आर0 प्राप्त हुआ है, जिसमें अधिकांश की स्वीकृति जिला परामर्शदातृ से प्राप्त नहीं है। इनमें कुछ तालाबों का क्षेत्रफल 05 एकड़ से कम का भी है।

पुनः अनुरोध है कि 05 एकड़ से अधिक रकबा के तालाबों के साथ–साथ आहर–पईन तथा चेक डैम/वीयर योजनाओं पर जिला परामर्शदातृ समिति से सहमति प्राप्त कर अथवा जिला पदाधिकारी से अनुशंसित कराकर विभाग को डी0पी0आर0 के साथ भेजा जाय ताकि प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई की जा सके।

इसके सभी अपने प्रमण्डल के सभी कनीय अभियन्ताओं से बराबर–बराबर मात्रा में योजनाओं का डी0पी0आर0 बनावें तथा 10 दिनों के अन्दर विभाग को उपलब्ध करावे।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन,
17/8/2020
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक– 1571 (मॉo) /पटना, दिनांक– 17/8/2020

प्रतिलिपि–सभी अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई अंचल/सभी मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/8/2020
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

D:\AWADH-2020\LETTER-20\AUG-20\YOJNAO KA DPR-17-08-2020.DOCX